कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

Email:-np_ntd@yahoo.in Phone-02953-233526

क्रमांक/न.पा.नाथ/नामा./2024/15087 दिनांक : 03/02/2025

-:आपत्ती सूचना:-

एतर्थ द्वारासर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्डों का पूर्नगठन/उपविभाजन का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर पूर्नगठन/उपविभाजन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्री पंकज सिसोदिया पिता श्री प्रकाश सिसोदिया एवं अन्य निवासी नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	भूखण्ड संख्या 1 A क्षेत्रफल-31665.29 वर्गफिट, 120 फिट रोड शिव मूर्ति के पास उपली ऑडन, नाथद्वारा	120 फिट रोड	अन्य भूमि	भूखण्ड संख्या 1 B	आम रास्ता

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा

सं./न.पा.नाथ./90 क/25/16445 **लोक-सूचना** दिनांक :29/01/2025

श्री रजनीकांत सनाढ्य पुत्र स्व.श्री दुर्लभदास सनाढ्य निवासी जाट मोहल्ला, छीतरवाडा, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला -राजसमन्द ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	मोडवा	229	कुल रकबा 0.4932 हैक्टर में से रकबा 0.2867 हैक्टर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 29/01/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

एल्युमिनी मीट का आयोजन

उदयपुर, (कासं)। गीतांजलि कॉलेज एवं स्कूल आफ नर्सिंग उदयपुर में एल्युमिनी मीट 2025 का आयोजन होगा। कार्यक्रम में अतिथि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से डॉ. ऋषि कपूर, सीओओ, विजेंद्र सिंह, नर्सिंग सुपरीटेंडेंट, प्रो. डॉ. योगेश्वर पुरी गोस्वामी, प्रिंसिपल गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, प्रो. दिनेश कुमार शर्मा प्रिंसिपल गीतांजलि स्कूल ऑफ नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कमलेश जोशी, एकेडमिक ऑफिसर जयेश पाटीदार, समस्त विभागाध्यक्ष , फैकल्टी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। छात्र-छात्राओं ने अपने कॉलेज में बीते यादगार पल एवं जीवन के अनुभव को साझा किये। गीतांजलि के सी.ओ. ओ. डॉ. ऋषि कपूर ने नर्सिंग प्रोफेशन के महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डाला। विजेंद्र सिंह, नर्सिंग सुपरीटेंडेंट ने प्रोफेशनलिज्म पर विचार व्यक्त किए, गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग से प्रिंसिपल (डॉ) योगेश्वर पुरी गोस्वामी ने पूर्व में पास आउट बैच एवं स्टूडेंट की जानकारी दी और वर्तमान होने वाले अध्ययनों एवं गतिविधियों पर प्रकाश डाला। प्रिंसिपल प्रोफेसर दिनेश कुमार शर्मा ने छात्रों को जीवन के मूल्यों के बारे में बताया।

तीन पारियों में होगी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा

- 100 मीटर दायरे में बंद रहेंगे हॉस्टल व ई-मित्र

उदयपुर, (कासं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आगामी 27 एवं 28 फरवरी को प्रस्तावित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशन में टीम उदयपुर मुस्तैद है। परीक्षा समन्वयक एवं एडीएम प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़ ने सोमवार को एरिया व जोनल अधिकारियों की बैठक ली। वहीं केंद्राध्यक्षों, पेपर कोर्डिनेटर्स, उड़न दस्तों आदि का भी प्रशिक्षण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजीडेंसी के सभागार में आयोजित हुआ।

उल्लेखनीय है कि रीट 2024 के तहत उदयपुर में 55 केन्द्रों पर तीन पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। 27 फरवरी को प्रथम पारी में सुबह 10 से 12.30 बजे तक लेवल प्रथम की परीक्षा होगी इसमें 18 हजार 280 अभ्यर्थी भाग लेंगे। द्वितीय पारी में दोपहर 3 से 5.30 बजे तक लेवल द्वितीय के 18 हजार 152 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अगले दिन 28 फरवरी को सुबह 10 से 12.30 बजे तक लेवल द्वितीय के 18 हजार 268 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

परीक्षा समन्वयक एवं एडीएम प्रशासन राठौड़ ने परीक्षा को लेकर नियुक्त एरिया व जोनल अधिकारियों की बैठक सोमवार शाम रेजीडेंसी विद्यालय परिसर में ली। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 26 फरवरी को सभी एरिया एवं जोनल अधिकारी अपने-अपने आवंटित क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों का गहन अवलोकन करेंगे।

इस दौरान परीक्षा केंद्र की व्यवस्थाएं देखने के साथ ही कक्षा कक्षों में किसी प्रकार का कोई चार्ट या इलेक्ट्रोनिक डिवाइस लगा हुआ नहीं हो यह सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केंद्र में जिस स्थल पेपर रखे जाएंगे वहां किसी प्रकार की फोटोकॉपी मशीन अथवा इंटरनेट सुविधा नहीं हो यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में एडीएम सिटी वारसिंह, भू अवाप्ति अधिकारी कीर्ति राठौड़, युडीए सचिव हेमेंद्र नागर, ओएसडी युडीए जितेंद्र ओझा, स्मार्ट सिटी एसीईओ केपीसिंह चौहान, अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान विभाग अशोक कुमार, उपायुक्त टीएडी रागिनी डामोर, उपनिदेशक स्वायत्त शासन विनोद कुमार, नियंत्रण कक्ष प्रभारी डॉ महामायाप्रसाद चौबीसा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

एडीएम राठौड़ ने बताया कि बोर्ड की गाइडलाइन एवं मुख्य सचिव महोदय की ओर से वीसी में दिए गए निर्देशानुसार परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में हॉस्टल बंद रखे जाएंगे। साथ ही ई-मित्र एवं फोटोकॉपी दुकानों भी पूरी तरह बंद कराई जाएंगी।परीक्षा देने बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हैल्प डेस्क स्थापित की जा रही हैं। नगर निगम ने तीन सामुदायिक भवनों को चिन्हित किया है, जहां 100-100 बिस्तर की व्यवस्था रहेगी, ताकि बाहर से आने वाले अभ्यर्थी ठहर सकें।

सार-समाचार

गीतांजली डेंटल ने जीता पैसेफिक कप

उदयपुर, (कासं)। 8 वां पैसेफिक कप क्रिकेट टूर्नामेंट में गीतांजलि डेंटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी को अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में भारत के 4 अलग-अलग राज्यों की 16 डेंटल टीमों ने भाग लिया। क्रिकेट मैचों का आयोजन विभिन्न क्रिकेट ग्राउंड पर 17 से 22 फरवरी तक हुआ।16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया था। गीतांजलि डेंटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट और पैसेफिक डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मैच 22 फरवरी को करनपुर क्रिकेट ग्राउंड में किया गया। फाइनल में टॉस जीतकर पैसिफिक डेंटल टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 161 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया। पैसिफिक की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए शिवम पांडे ने 20 गेंदों पर 36 रनों की तूफानी पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गीतांजलि डेंटल की टीम ने 3 गेंदें शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया। गीतांजलि की तरफ से डॉ सौरभ सिंह ने 69 गेंदों में 120 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे।मैन ऑफ द मैच डॉ सौरभ सिंह को चुना गया, जिन्होंने टूर्नामेंट में कुल 348 रन बनाए। वहीं, गीतांजलि टीम के अभिनव ने गेंदबाजी में सर्वाधिक 13 विकेट हासिल किए।

दिल्ली चैलेंजर्स बनी विजेता

उदयपुर, (कासं)। पिम्स मेवाड कप के तीसरे सीजन के तहत रविवार रात को मदन पालीवाल मिराज क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दर्शकों की हूटिंग, चौकों-छक्कों की बरसात और उल्लास के बीच दिल्ली चैलेंजर्स की टीम ने लिबर्टी को 20 रन से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। आयोजक नमन अग्रवाल व कुलदीप आमेरिया ने बताया कि दिल्ली चैलेंजर्स ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन बनाये। इसमें जुबैर अली खान ने 26 बॉल पर 66, कामरान इरफान ने 40 बॉल पर 62 रन का योगदान दिया। तेजस सिंह बारोका ने 4 व विनीत पंवार ने 3 विकेट लिए। जवाब में लिबर्टी की टीम 8 विकेट खोकर 179 रन ही बना सकी। उतार-चढाव से भरे इस मुकाबले में ऋतिक शौकीन ने 40 बॉल पर 53, सैराज पाटिल ने 21 बॉल पर 32 रनों का योगदान दिया लेकिन वे अपनी टीम को नहीं जीता सके। सुबोध भाटी व हर्षित मौर्य ने 2-2 विकेट लिए। जुबैर अली खान को अपनी अर्धशतकीय पारी में 8 छक्के लगाने पर मैन ऑफ द मैच दिया गया।

महाराणा भूपाल सिंह की जयंती मनाई

उदयपुर, (कासं)। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी की 141वीं जयंती पर जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विवि के कुलपति सचिवालय के सभागार में सोमवार को मुख्य अतिथि पानी वाले बाबा डॉ. राजेन्द्र सिंह, कुलपति कर्नल प्रो. एस. एस. सारंगदेवोत, कुलाधिपति भंवर लाल गुर्जर, रजिस्ट्रार डॉ. तरूण श्रीमाली, पीठ स्थविर डॉ. कौशल नागदा, डॉ. युवराज सिंह ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हे नमन किया। संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए प्रो. सारंगदेवोत ने कहा कि महाराणा भूपाल सिंह जी सिर्फ एक शासक ही नहीं थे, वरन एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे। महाराणा भूपाल सिंह विद्यापीठ के पहले चांसलर रहे। आजादी के पूर्व महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ के शहरी एवं आदिवासी अंचल में शिक्षा की अलख जगाई। लोकहितकारी कार्यो के लिए अपनी अनेकों भवन एवं जमीनें सुपूर्द की।

निगम ने मांस बिक्री दुकान को किया सीज

उदयपुर, (कासं)। नगर निगम द्वारा ग़लत दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुज्ञा लेने के पश्चात व्यवसाय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मल्लातलाई क्षेत्र में मांस बिक्री करने वाली दुकान को सीज किया गया। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि कुछ समय पूर्व शहर में एक दुकानदार द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर निगम से अनुज्ञा प्राप्त की गई थी संज्ञान में आने पर इसकी जांच की गई। जांच के दौरान मिट व्यवसाय करने वाले से अनुज्ञा के समय दिए गए दस्तावेजों का पुन: मूल्यांकन किया गया जिसमें दिए गए दस्तावेज वैद्य नहीं पाए गए। जिस पर नगर निगम स्वास्थ्य शाखा ने आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज किया गया। कार्यवाही के दौरान स्वास्थ निरीक्षक राजेश बन्धु, वरिष्ठ सहायक शिवराज सिंह चौहान एवं चेतन जैन उपस्थित रहे।

UCWL UDAIPUR CEMENT WORKS LIMITED

उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड

(सीआईएन: L26943RJ1993PLC007267)

पंजीकृत कार्यालय: श्रीपति नगर, सीएफए, पीओ: डबोक, उदयपुर-313 022 (राजस्थान)

सेक्रेटेरियल कार्यालय: गुलाब भवन, तृतीय तल (पिछला ब्लॉक), 6ए, बहादुर शाह जफर मार्ग,नई दिल्ली-110002

ईमेल: ucwl.investors@jkmail.com, वेबसाइट: www.udaipurcement.com

फोन: +91-011-68201862 फैक्स: +91-294-2655077

राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, जयपुर बेंच के समक्ष

सीए (सीएए) संख्या 01/230-232/जेपीआर/2025

कम्पनी अधिनियम, 2013

एवं

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौते, व्यवस्था (ठहराव) और समामेलन) नियम, 2016 के अंतर्गत आवेदन के मामले में

तथा

जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

एवं

उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड

एवं

हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड

एवं

हाईड्राइव डेवलपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

एवं

उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के समामेलन एवं व्यवस्था की योजना के मामले में

उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक सूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय श्रीपति नगर, सीएफए, पीओ: डबोक, उदयपुर-313 022, राजस्थान में है

...आवेदक कम्पनी

असुरक्षित लेनदारों एवं इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की सूचना तथा विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी योजना आवेदन सीए (सीएए) संख्या 01/230-232/जेपीआर/2025 (सामूहिक रूप से 'आदेश' के रूप में संदर्भित) में पारित आदेश दिनांकित 28 जनवरी, 2025 के साथ पठित आदेश दिनांकित 04 फरवरी, 2025 के द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, जयपुर स्थित पीठ ('एनसीएलटी') ने आवेदक कम्पनी के असुरक्षित लेनदारों एवं इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, हाईड्राइव डेवलपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच समामेलन एवं व्यवस्था की योजना ('योजना') में निहित व्यवस्था पर विचार और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन बिना के अनुमोदन करना है।

उक्त आदेश के अनुपालन में एवं उसमें उक्त निर्देशानुसार, इसके अतिरिक्त सूचित किया जाता है कि आवेदक कम्पनी के असुरक्षित लेनदारों की एक **बैठक शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न (भारतीय मानक समय)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिस समय आवेदक कम्पनी के उक्त असुरक्षित लेनदारों से बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की एक अलग बैठक **शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को 12:30 बजे अपराह्न (भारतीय मानक समय)** वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिस समय आवेदक कम्पनी के उक्त इक्विटी शेयरधारकों से बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। ये बैठकें कम्पनी अधिनियम, 2013 ("2013 अधिनियम") के लागू प्रावधानों एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020; संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 तथा इस सन्दर्भ में सभी अनुवर्ती परिपत्रों, अंतिम 09/2024 दिनांकित 19 सितम्बर, 2024 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 एवं इस सन्दर्भ में सभी अनुवर्ती परिपत्रों, अंतिम SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांकित 3 अक्टूबर, 2024 के अनुपालन में आयोजित की जाएँगी।

2013 अधिनियम की धारा 230 से 232 एवं 102 के साथ पठित कम्पनी (समझौते, व्यवस्था (ठहराव) और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 के अंतर्गत सूचना और व्याख्यात्मक विवरण (योजना सहित प्रासंगिक अनुबंधों सहित) (सामूहिक रूप से "सूचना" के रूप में संदर्भित) की प्रतियाँ आवेदक कम्पनी के असुरक्षित लेनदारों एवं इक्विटी शेयरधारकों को आवेदक कम्पनी के साथ उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ, वीसी/ओएवीएम एवं वेबलिंक के माध्यम से बैठकों में सम्मिलित होने के दिन, तारीख, समय तथा अन्य विवरणों युक्त एक पत्र, जिसमें सटीक पथ भी शामिल है, जहाँ सूचना का सम्पूर्ण विवरण देखा जा सकता है, असुरक्षित लेनदारों एवं इक्विटी शेयरधारकों को भेजा गया है, जिनके ईमेल पते आवेदक कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं हैं। पत्र में एक क्यूआर कोड भी है जिसके माध्यम से संबंधित असुरक्षित लेनदार एवं इक्विटी शेयरधारक सीधे संपूर्ण सूचना अभिगमित कर सकते हैं। सूचना आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय भी उपलब्ध है और बैठकों की तारीख से पहले निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। यह सूचना उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड (www.udaipurcement.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की वेबसाइट (https://www.cdslindia.com/), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हो सकती है।

माननीय एनसीएलटी ने उक्त बैठकों हेतु (ए) श्री राजीव मेहरोत्रा को अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनकी अनुपस्थिति में श्री संदीप पाठक को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। यदि आवेदक कम्पनी के असुरक्षित लेनदारों एवं इक्विटी शेयरधारकों की बैठक(ओं) द्वारा योजना को स्वीकृति दे दी जाती है, तो यह माननीय एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन के विषय-स्वरुप होगी।

अधिनियम के लागू प्रावधानों एवं एमसीए तथा सेबी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, आवेदक कम्पनी असुरक्षित लेनदारों एवं इक्विटी शेयरधारकों की बैठकों के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तथा ई-वोटिंग प्रदान करने में हर्षित है, जिससे वे सूचना में निर्धारित प्रस्ताव हेतु सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें और सूचना में दिए गए व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपादित किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठकों में सम्मिलित होने के लिंक https://www.cdslindia.com/ (सीडीएसएल के साथ शेयर प्रतिरक्षित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों हेतु), https://www.evoting.nsdl.com/ (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के साथ शेयर प्रतिरक्षित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों हेतु) एवं https://www.evotingindia.com/ (अन्य सभी प्रकार के शेयरधारकों हेतु) के माध्यम से अभिगमित किया जा सकता है।

चूँकि आवेदक कम्पनी के असुरक्षित लेनदारों एवं इक्विटी शेयरधारकों की बैठकें वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, अतः असुरक्षित लेनदारों एवं इक्विटी शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, आवेदक कम्पनी के असुरक्षित लेनदारों एवं इक्विटी शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उनकी संबंधित बैठकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

बैठकों के संबंध में ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि तथा रिमोट ई-वोटिंग की समयावधि निम्नानुसार है:-

असुरक्षित लेनदारों एवं इक्विटी शेयरधारकों की बैठकें	
ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, 21 मार्च, 2025
रिमोट ई-वोटिंग की आरम्भ तिथि एवं समय	सोमवार, 24 मार्च, 2025, 10:00 बजे पूर्वाह्न
रिमोट ई-वोटिंग की समापन तिथि एवं समय	बृहस्पतिवार, 27 मार्च, 2025, 5:00 बजे अपराह्न

इसके पश्चात् रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब असुरक्षित लेनदार/इक्विटी शेयरधारक द्वारा वोट डाल दिया जाता है, तो ऐसे लेनदार और/अथवा शेयरधारक को बाद में इसे बदलने या बैठक में पुनः वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसा व्यक्ति बैठक में भाग ले सकता है।

एक असुरक्षित लेनदार जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को कम्पनी के पास उपलब्ध असुरक्षित लेनदारों की सूची में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने और असुरक्षित लेनदारों की बैठक में भाग लेने या उसमें वोट करने हेतु अधिकृत होगा, अगर उसने पहले वोट नहीं डाला हो। इसी प्रकार, एक इक्विटी शेयरधारक जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित सदस्यों के रजिस्टर या लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने एवं इक्विटी शेयरधारकों की बैठक में भाग लेने या उसमें वोट करने हेतु अधिकृत होगा, अगर उसने पहले वोट नहीं डाला हो।

आवेदक कम्पनी के असुरक्षित लेनदारों एवं इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सूचना में छपे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यदि आपको मीटिंग में भाग लेने और सीडीएसएल की ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 18002109911 पर कॉल कर सकते हैं। आप कम्पनी सचिव से 011-68201862 पर संपर्क कर सकते हैं या ucwl.investors@jkmail.com पर ईमेल कर सकते हैं।

हस्ताक्षर

दिनांकित 24 फरवरी, 2025 (राजीव मेहरोत्रा)

स्थान: नई दिल्ली बैठकों हेतु नियुक्त अध्यक्ष

मंडी शुल्क बंद करने की मांग, किया प्रदर्शन

उदयपुर, (कासं)। प्रदेश स्तरीय आव्हान पर सोमवार को दूसरे दिन भी सवीना स्थित कृषि उपज मंडी बंद रही। रविवार को हुई वार्ता के विफल होने के बाद सोमवार को मंडी बंद होने से करोडो का व्यापार ठप्प रहा।

इधर सवीना स्थित कृषि मंडी के मेन गेट पर व्यापारियों ने इकठ्ठा होकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्री व्यापार मंडल कृषि उपज मंडी समिति के अंतर्गत सभी दुकाने आती है। ऐसे में पूर्ण रूप से मंडी बंद होने से सोमवार को भी किसी प्रकार का व्यापार नहीं हो सका।

व्यापार मंडल अध्यक्ष चंदन जावरिया ने बताया कि मंडी के व्यापार मंडल, लघु वन उपज एसोसिएशन,उदयपुर किराणा संगठन एवं मंडी की अन्य सभी संस्थान ने बंद को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। इसी कडी में सोमवार को उदयपुर दाल चावल व्यापार संघ के अध्यक्ष गणेश लाल अग्रवाल एवं मनीष मारू,व्यापार मंडल अध्यक्ष चंदन लाल जावरिया तथा दामोदर खटोड़,किराना एवं सूखा मेवा संघ के अनिल जैन, कृषि मंडी मेनगेट संघ के रमेश जैन एवं तेल घी व्यापार संघ के अरविंद जैन एवं अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों के नेतृत्व में संपूर्ण मंडी परिसर को बंद कर मेन गेट पर धरना दिया गया एवं राज्य सरकार से कृषि मंडी टैक्स,कृषक कल्याण टैक्स, श्री उदयपुर दाल चावल व्यापार के सदस्यों एवं अन्य सदस्यों को बलिचा मंडी में आवंटन से वंचित सभी सदस्यों को भूखंड आवंटन सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के बाद कृषि मंडी सचिव मदन गुर्जर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

उदयपुर की कृषि उपज मंडी दो दिन से पूर्ण रूप से बंद होने से करोडो का व्यापार ठप्प हुआ है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों की माने तो रविवार और सोमवार को मंडी बंद होने से 15 से 20 करोड रूपए का व्यापार ठप्प हुआ है। इतना ही नहीं उदयपुर संभाग के सभी 6 जिलों में होने वाली सप्लाई भी प्रभावित हुई है।

ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरी गेहूं की फसल जली

डूंगरपुर, (निसं)। धम्बोला थाना क्षेत्र के चाडोली गांव में गेहूं की फसल से भरी ट्रॉली में आग लगने से जलकर राख हो गई। हादसा फसल के बिजली के तारों से छूने से हुआ। फसल जलने से किसान को आर्थिक नुकसान हुआ है।

जानकारी के अनुसार किसान शांतिलाल पाटीदार खेत से कटी हुई गेहूं की फसल को ट्रैक्टर.ट्रॉली में भरकर घर ले जा रहे थे। गांव के पास पहुंचते ही ट्रॉली में भरी फसल ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से टकरा गई। इस टकराव से तुरंत आग की चिनगारी उठी और देखते ही देखते पूरी फसल में आग फैल गई। आग की लपटें देख गांव में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग बर्तनों में पानी भरकर आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक ट्रॉली में रखी पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। ट्रैक्टर-ट्रॉली को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फसल के जल जाने से किसान को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पडा है।

भागवत सप्ताह का शुभारंभ

डूंगरपुर, (निसं)। वृंदावनधाम श्रीराधे दीदी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक डॉ.अदिति नीलेश गोठी के निवास आशीर्वाद के साथ भागवत की प्रारंभिक पूजा के बाद सभी सनातनी पुरुषों और नारी शक्ति ने कथा स्थल नया महादेव मंदिर प्रांगण तक शोभायात्रा निकाली। शोभा यात्रा में बैंड बाजे के साथ महिलाओं ने अपने सर पर मंगल कलश रखते हुए भगवान के सुमधुर भजनों के साथ गरबा नृत्य करते हुए भाग लिया। खुली जीप में भागवताचार्य श्री राधे और आयोजक विराजमान थे। रास्ते में पुष्प वर्षा के साथ शोभा यात्रा प्रताप सर्कल से होते हुए नया महादेव मंदिर पहुंची। वहा पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने भागवत जी की आगवानी करते हुए श्री व्यास पीठ पर स्थापित करवाया। इसके पश्चात आचार्य प्रणव पुरोहित द्वारा मंत्रोचार से वैदिक तरीके से भागवत की पूजा के साथ आयोजक द्वारा भागवत जी की आरती की गई। श्रीमद भागवत सप्ताह के प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ करते हुए श्री राधे ने भगवान के वांग्मय स्वरूप की चर्चा करते हुए संगीत कलाकारों के जरा चलके वृंदावन देखों। जैसे मधुर गायन और वादन के साथ उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर उत्साहित कर दिया। कथा के अंत में आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मातृ शक्ति ग्रुप प्रगति नगर महिला भजन ग्रुप श्रीनाथ महिला भजन मंडल और अन्य सनातनी श्रद्धालु सहित मंदिर के नियमित भक्त उपस्थित रहे।

सात गिरफ्तार

कपासन, (निसं)। कपासन में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड किया हैपुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 ड्रिल मशीन, ऑयल से भरे जरीकेन, एक कार और एक मोटरसाइकिल जब्त की है।

एसपी सुधीर जोशी के निर्देश पर एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी हरजीराम यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। बिजली विभाग के जेईएन अमित कुमार ने 17 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि 2 और 7 फरवरी को छापरी और बालारड़ा के खेतों में लगे ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी हुआ था।पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों को पकड़ा। गिरोह में सिंहपुर के किशनलाल, ओमप्रकाश, उदयलाल, कांकरिया के हजारीलाल, सिंहपुर के हकीम मोहम्मद और गाडरी खेड़ा के कालू और विकास शामिल हैं